पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2021 ई0 (फाल्गुन 08, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	101–113	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	111–112	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	63–83	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3

अधिसूचना

27 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 51/XIII-3/21/12(1)/2020–राज्यपाल, "उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020" की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके घोषणा करते हैं कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 646/XIII-2/2020–01(01)/2020 टी0सी0 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 द्वारा विनियमित कृषि उपज और पशुधन के सम्बन्ध में निम्न तालिका के **स्तम्भ–3** में उल्लिखित तहसीलों/उप तहसीलों के समस्त नगरीय, ग्रामीण एवं वन क्षेत्र सहित **स्तम्भ–4** में उल्लिखित निरूपित मण्डी क्षेत्र अधिसूचित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	जनपद	तहसील/उप तहसील	निरूपित मण्डी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	ऊधमसिंहनगर	तहसील रूद्रपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, रूद्रपुर
		तहसील किच्छा का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, किच्छा
		तहसील गदरपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, गदरपुर
		सितारगंज के उप तहसील नानकमत्ता के क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, सितारगंज
		तहसील सितारगंज के उप तहसील नानकमत्ता का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, नानकमत्ता
		तहसील खटीमा का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, खटीमा
		तहसील काशीपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, काशीपुर
		तहसील बाजपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, बाजपुर
		तहसील जसपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, जसपुर
2.	नैनीताल	हल्द्वानी, कालाढूंगी, खनस्यूं, नैनीताल, लालकुआँ धारी, कोश्या–कुटौली, बेतालघाट का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, हल्द्वानी
		तहसील रामनगर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, रामनगर
3.	देहरादून	देहरादून सदर, डोईवाला एवं मसूरी का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, देहरादून
		ऋषिकेश का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, ऋषिकेश
		विकासनगर, कालसी का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, विकासनगर
		चकराता, त्यूनी का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, चकराता
4.	हरिद्वार	हरिद्वार का समस्त क्षेत्र।	मण्डीक्षेत्र,हरिद्वार यूनियन
		लक्सर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, लक्सर
		भगवानपुर का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, भगवानपुर
		तहसील रूड़की के विकास खण्ड रूड़की एवं नगर निगम का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, रूड़की
		तहसील रूड़की के नगरपालिका मंगलौर, नगर पंचायत झबरेडा, नगर पंचायत लढौरा एवं विकास खण्ड नारसन का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, मंगलौर
5.	चम्पावत	चम्पावत, पाटी, श्री पूर्णागिरी, टनकपुर, लोहाघाट, बाराकोट का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, टनकपुर

1	2	3	4
6.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, भनोली, जैंती, लमगड़ा, सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत, चौखुटिया, भिक्यासैण, सल्ट, स्याल्दे का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, अल्मोड़ा
	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड़, कपकोट, काण्डा, काफलीगैर, द्वुग नाकुरी का समस्त क्षेत्र।	
7.	पिथौरागढ	पिथौरागढ, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, धारचूला, मुनस्यारी, कनालीछीना, देवलथल, गणाईगंगोली, थल, बंगापानी, तेजम का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, पिथौरागढ़
8.	उत्तरकाशी	भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड, बडकोट, पुरोला, मोरी का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, उत्तरकाशी
9.	चमोली	चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणबगड़, आदिबद्री, जिलासू, नन्दप्रयाग, घाट का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, चमोली
	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, उखीमठ, जखोली, बसुकेदार का समस्त क्षेत्र।	
10.	टिहरी	प्रतापनगर, बालगंगा, घनसाली, धनोल्टी, नैनबाग, नई टिहरी, जाखणीधार, कंडीसौड़, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, नरेन्द्रनगर, गजाका समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, टिहरी
11.	पौड़ी	पौड़ी, चौबट्टाखाल, श्रीनगर, लैंसडाउन, सतपुली, जखनीखाल, कोटद्वार, यमकेश्वर, थलीसैंण, चाकीसैंण, बीरोंखाल, धुमाकोट का समस्त क्षेत्र।	मण्डी क्षेत्र, कोटद्वार

आज्ञा से,

डॉ0 हरबंस सिंह चुघ,

सचिव।

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

02 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 40/XXXVI-A-3/2021–208/01–T.C.-I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम–1984 (अधिनियम संख्या–66 सन् 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, श्री श्रीकान्त पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को अपने इस पद पर कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

03 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 63/XIII-2/2021–01(242)/2002–उत्तरांचल शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 01/कृषि/2003/1(242) 2002 देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा बीज परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी (नैनीताल) को सम्पूर्ण राज्य हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला घोषित किया गया था। बीज अधिनियम (अधिनियम सं0 54, सन् 1966) की धारा–4(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्रयोगशाला हल्द्वानी (नैनीताल) के स्थान पर महामहिम श्री राज्यपाल सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, कृषि निदेशालय परिसर देहरादून को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला घोषित करते हैं।

अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 2003 के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

अधिसूचना

03 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 161/XIII-2/2021–01(242)/2002–उत्तरांचल शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2003 द्वारा सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल) के स्थान में आंशिक संशोधन करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, कृषि निदेशालय परिसर देहरादून किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त, 2003 के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

आज्ञा से,

डा0 हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

09 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 183/XX-4/2021–1(21)/2019–राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (1) सपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–428/बीस–4/2017–1(17)/2009 टी0सी0, दिनांक 21–06–2017 व अन्य पूर्व नीतियों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य की कारागार में निरूद्ध हो, को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर शेष सजा का परिहार प्रदान कर सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी नीति बनाते है :–

उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(1) इसका नाम उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

(3) इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहें वह उत्तराखण्ड राज्य अथवा उत्तराखण्ड से बाहर अन्य राज्य की कारागारों में निरूद्ध हो, पर होगा।

(4) यह नीति उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हो, किन्तु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बन्दियों पर,

(ख) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों पर, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित हो,

(ग) ऐसे बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है, जिनके लिए सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति किसी विधि में अनुमन्य नहीं है,

(घ) ऐसे बन्दियों पर, जिनकों मा0 न्यायालय द्वारा जीवनपर्यन्त कारागार में निरूद्ध रखे जाने के आदेश दिये गये हैं।

परिभाषाएं

2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नीति में :–

(क) 'मुख्यमंत्री' से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री अभिप्रेत है,

(ख) 'समिति' से उत्तराखण्ड शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिरीक्षक कारागार' से कारागार विभाग के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक कारागार अभिप्रेत है।

(घ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ड.) 'वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक' से सम्बन्धित कारागार के प्रभारी वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक अभिप्रेत है।

सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु समिति का गठन

3 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत आजीवन कारावासित सिद्धदोष बन्दियों को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर समयपूर्व मुक्ति/सजामाफी अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं के निस्तारण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी अथवा उनके द्वारा नमित कोई अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी	सदस्य
3–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित कोई अन्य सचिव	सदस्य
4–अपर सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव

सजामाफी / समयपूर्व मुक्ति हेतु विचारणीय पात्रता

4 (क) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ख) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सभी पुरूष सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ग) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उत्तराखण्ड जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:–

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis
2. Incurable malignancy
3. Incurable Blood diseases
4. Congestive heart failure
5. Chronic epilepsy with mental degeneration
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer
7. Total blindness of both eyes
8. Incurable paraplegias and hemiplegics
9. Advanced Parkinsonism
10. Brain Tumor
11. Incurable Aneurysms
12. Irreversible Kidney failure

(घ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(ड.) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(च) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के प्रस्तर xiii में वर्णित अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नही है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

प्रतिबन्धित श्रेणी	5	(i)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।
		(ii)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो।
		(iii)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से जीवन–पर्यन्त कारागार में निरूद्धि हेतु आदेशित किया है अथवा आजीवन कारावास से दण्डित समस्त ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्धि हेतु आदेशित किया गया है।
		(iv)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य-अभिकरण द्वारा किया गया था।
		(v)	ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिन पर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ–साथ भोगे जाने वाली पृथक–पृथक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।
		(vi)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हें सामूहिक नरसंहार (तीन या तीन से अधिक हत्याएं) की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्ध किया गया हो।
		(vii)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्धि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से और विगत 05 वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों।
		(viii)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें दण्डादेश निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
		(ix)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।
		(x)	ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
		(xi)	ऐसे सिद्धदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं।
		(xii)	आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्ध किया गया हो :– –नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 –आतंकवादी और विध्वंशकारी कियाकलाप अधिनियम 1997 –आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002

--स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)
--स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का सं0 42)
--सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं0 52)
--शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
--विदेशियों विषयक अधिनियम 1946
--विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974
--लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012(POCSO ACT 2012)

(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण), 364 ए (मुक्ति--धन आदि के लिए व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्पेरित करना), 366 ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366बी (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शंरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।

(xiv) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों।

(xv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों।

(xvi) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

प्रकिया 6 (क) समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगें एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नही है तथा पात्र समस्त बन्दियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें।

(ख) बंदियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।

(ग) महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवंबर तक प्रेषित कर दिया जायेगा।

(घ) शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त समिति बन्दियों के सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचार--विमर्श करेगी।

(ड.) बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरान्त् समिति अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को अग्रसासित करेगी।

(च) सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जायेगा।

सजामाफी पर बन्दियों को कारागार से रिहा किया जाना	7	राज्यपाल के अनुमोदन/आदेशोपरान्त् आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रूपया 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
गलत रिहा किये गये बन्दियों को पुनः निरूद्ध किया जाना	8	उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहियें, तो शासन ऐसे बंदी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये उसे पुनः कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

19 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 119/II–2–2021–06(92)/2020–चूंकि राज्य सरकार जनपद रूद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के क्षेत्रान्तर्गत पट्टी फाटा के राजस्व ग्राम श्री केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी के दोनों तटों पर अनुसूची–एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैंदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र0सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं के विपथन (Diversion) आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉं, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साध–साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी रूद्रप्रयाग एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

अधिसूचना संख्या 13/[illegible]-2021-06(92)/2020 दिनांक 19 जनवरी, 2021

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण की अनुसूची।

जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील– ऊखीमठ के राजस्व ग्राम श्री केदारनाथ, पटट्री फाटा

प्रतिबन्धित **(Retrected)** क्षेत्रों की अनुसूची–02

क0स0	सर्वेक्षण खसरा सं0	भू–स्वामी का नाम	रकवा (है0.में)	भूमि का प्रकार	खतौनी खाता सं0	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (है0में)		अभ्युक्ति
						भूमि	सम्पत्ति	
1	51	नदी	0.025	नदी	5	0.01358		
2	56(म)	मंदिर समिति	0.200	मंदिर समिति	29	0.007132		
3	56(म)	बंजर	0.373	बंजर	2	0.009136		
4	241	उ0 सरकार	0.049	बंजर	2	0.013125		
5	242	नदी	0.090	नदी	5	0.087506		
6	243	श्री केदारनाथ मं0स0	0.005	श्री केदारनाथ मं0स0	8	0.00500		
7	244	बंजर	0.016	बंजर	2	0.016		
8	238	गणेश पुत्र भगवती	0.079	श्रेणी.1 क	52	0.40312		
9	239	बंजर	0.610	बंजर	2	0.32332		
10	250	नदी	0.025	नदी	5	0.001705		
11	251	बंजर	0.521	बंजर	2	0.061102		
12	251	स्वा0 वि0	0.110	स्वा0 वि0	3	0.03055		
13	249	बंजर	0.284	बंजर	2	0.071339		
14	274	नदी	0.100	नदी	5	0.05696		
15	275	उ0 सरकार	0.556	बंजर	2	0.257544		
16	276	उ0 सरकार	0.080	नदी	5	0.07112		
17	277(म)	उ0 सरकार	0.440	बंजर	2	0.190492		
18	297	उ0 सरकार	0.014	घाट	35	0.009431		

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण की अनुसूची।

जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम श्री केदारनाथ, पट्टी फाटा

प्रतिषिद्व (**Prohibited**) क्षेत्रों की अनुसूची–01

क0स0	सर्वेक्षण खसरा सं0	भू–स्वामी का नाम	रकवा (है0. में)	भूमि का प्रकार	खतौनी खाता सं0	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)		अभ्युक्ति
						भूमि	सम्पत्ति	
1	51	नदी	0.025	नदी	5	0.000908		
2	56 म0	मंदिर समिति	0.200	मंदिर समिति	29	0.015211		
3	238	गणेश पुत्र भगवती	0.079	श्रेणी.1 क	52	0.036571		
4	239	बंजर	0.610	बंजर	2	0.313249		
5	241	उ0 सरकार	0.049	बंजर	2	0.010722		
6	242	नदी	0.090	नदी	5	0.09000		
7	243	श्री केदारनाथ मं0स0	0.005	श्री केदारनाथ मं0स0	8	0.00500		
8	244	बंजर	0.016	बंजर	2	0.016		
9	249	बंजर	0.284	बंजर	2	0.071339		
10	250	नदी	0.025	नदी	5	0.001705		
11	274	नदी	0.100	नदी	5	0.041302		
12	275	उ0 सरकार	0.556	बंजर	2	0.25696		
13	276	उ0 सरकार	0.080	नदी	5	0.07112		
14	277 म0	उ0 सरकार	0.440	बंजर	2	0.152438		

आज्ञा से,

उदय राज सिंह,

अपर सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

01 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 90/XL–1–2021–18/2004–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या F.No. T. 13011/04/2019-DCC(AYUSH) दिनांक 12 फरवरी, 2019 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम–154(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 की धारा 33P के प्राविधानान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं औषधि के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) जारी किये जाने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–10/XL-1-2020-18/2004 दिनांक 10.01.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1510/XL-1-2020-18/2004 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा निम्नानुसार गठित विशेषज्ञों के पैनल, जिसका कार्यकाल दिनांक 09.01.2021 को समाप्त हो गया है, का कार्यकाल आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी /लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।	अनुज्ञापन अधिकारी	अध्यक्ष
2.	डॉ0(प्रो0) दिनेश चन्द्र सिंह एम.डी.(आयु0) पी. एच.डी., प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्रव्यगुण विभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	द्रव्यगुण विशेषज्ञ	सदस्य
3.	डॉ0 सुची मित्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	रसशास्त्र विशेषज्ञ	सदस्य
4.	डॉ0 धीरेन्द्र दत्त बधानी, सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	औषधि नियंत्रण तंत्र	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/62–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

ADO DDN 30 2021-202

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2021 ई0 (फाल्गुन 08, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

February 03, 2021

No. 12/XIV-a/10/Admin.A/2009--Ms. Gunjan Singh, Additional Judge, Family Court, Roorkee District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 22 days *w.e.f.* 04.01.2021 to 25.01.2021 with permission to prefix 03.01.2021 as Sunday holiday and suffix 26.01.2021 as Republic Day holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 03, 2021

No. 13/XIV-a-28/Admin.A/2011--Sri Mohd. Yaqoob, 2nd Additional Chief Judicial Magistrate Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 13.01.2021 to 23.01.2021 with permission to suffix 24.01.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vaction Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 05, 2021

No. 15/XIV-a-34 Admin.A.2015--Ms. Afiya Mateen, 8th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.* 04.01.2021 to 23.01.2021 with permission to suffix 24.01.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

02 फरवरी, 2021 ई0

पत्रांक 284/चार–43/2019/टी.सी.यू.–डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदारों हेतु दिनांक 28 से 30 दिसम्बर, 2020 के मध्य विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

विभागीय परीक्षा (तहसीलदार दिसम्बर, 2020) में सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण किये गये विषय				
1.	श्री संजय कुमार	तहसीलदार	–	क	–	–	झ
2.	श्रीमती मंजू	तहसीलदार	क	क	ख	–	झ
3.	श्रीमती रेखा	तहसीलदार	–	क	–	–	–
4.	कु0 शालिनी मौर्य	तहसीलदार	अनुपस्थित				
5.	श्री श्रेष्ठ गुनसोला	तहसीलदार	–	–	–	–	झ
6.	श्री सोहन सिंह	तहसीलदार	–	क	–	–	झ
7.	श्री आशीष चन्द्र घिल्डियाल	तहसीलदार	क	क	–	–	झ
8.	श्रीमती सुशीला कोठियाल	तहसीलदार	–	–	–	–	झ
9.	श्री अबरार अहमद	तहसीलदार	–	–	–	–	झ
10.	डॉ. ललित मोहन तिवारी	तदर्थ तहसीलदार	–	–	–	छ	–

विषय संकेत कोड	विषय
'क'	क्रिमिनल लॉ एण्ड प्रोसीजर
'क'	क्रिमिनल केस
'ख'	रेवेन्यू एण्ड रेन्ट लॉ
'छ'	सिविल लॉ
'झ'	स्टाम्प एण्ड कोर्ट फीस एक्ट्स

अरविन्द सिंह ह्यांकी,

निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/62–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA DO DDN 30 2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2021 ई0 (फाल्गुन 08, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

28 सितम्बर, 2020 ई0

नगरपालिका परिषद् रामनगर–उपविधि

पत्रांक 6220 / 4–स्वा0अनु0 / 2020–21–नगरपालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिका परिषद् रामनगर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगरपालिका परिषद् रामनगर के अधिवेशन दिनांक 08–07–2019 में प्रस्ताव सं0–01 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्ति। जिस व्यक्ति/दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय आदि को इस उपविधि का प्रभाव पडता हो उनसे अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर जिला-नैनीताल द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2019 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी निर्धारित तिथि व समय पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। पालिका बोर्ड प्रस्ताव सं0-2 दिनांक 03-10-2019 के द्वारा "नगरपालिका परिषद, रामनगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम -2019" का गजट प्रकाशन राजकीय मुद्रणालय में कराते हुए नगरपालिका परिषद रामनगर के अन्र्तगत प्रभावी किया जाना स्वीकार किया गया है।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद रामनगर ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद रामनगर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015, गजट नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2016 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगरपालिका परिषद,रामनगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगरपालिका परिषद,रामनगर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू है :-

(क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ है कि, ठोस कचरा प्रबन्धन नियम-2016 (जिसे बाद में यहां एस0डब्ल्यू0एम0 नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और नगरपालिका रामनगर द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के श्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिन्दुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है, नगर पालिका के अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम-2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्त्रगत किया जाना है।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (डलाव)" का अर्थ नगरपालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द्र;

(ज) "कन्टेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगरपालिका या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेन्सी/एजेन्ट द्वारा प्रदत्त ठेला;

नगरपालिका द्वारा अधिकृत लाइसेन्स प्रदत्त एजेन्सी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम-2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) "फिक्स्ड काम्पैक्टर ट्रान्सफर स्टेषन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को काम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय काम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकता हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फैंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जन्तु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) "गन्दगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गन्दगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्सम्बन्धी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गन्दगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(प) "पैलेटाइजेषन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती है, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलैण्डरीकल टुकडे होते है ; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते है, जिन्हे रिफ्यूज डिराइब्ड ईधन कहा जाता है।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ, एस0डब्लू0एम0 निर्धारित नियमो/निर्धारित उप नियमों से है।

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही, से है।

(भ) " संग्रहण" का अर्थ ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना, जिससे गन्दगी न फैले और मच्छर, कीटों आदि एवं आवारा पशुओं के मृत अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक बदबू के प्रकोप को रोके जाने से है।

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ नगरपालिका परिषद के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पालिका/एजेन्सी द्वारा नियोजित व्यक्ति से है।

(य) "शैड्यूल" का अर्थ, निर्धारित उप नियमों से सम्बद्व शैड्यूल से है।

(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ, नगरपालिका द्वारा समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, जिससे ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके, से है।

[illegible] किसी का कब्जा न हो, से है।

3. जहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही [illegible] ठोस कचरा प्रबन्धन नियम–2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबन्धन नियम–2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा, कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटकीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटकीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा, तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय पर जारी नगरपालिका परिषद के निर्देशानुसार पृथक्कृत कचरे को नगरपालिका परिषद द्वारा इस हेतु नियुक्त कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा, कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे निम्रांकित 3 वर्गों में संगृहीत करे:–

(क) गैर–जैव अपघटकीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटकीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कीकृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी के जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केन्द्रो या संग्रहण केन्द्रो को सौंपेगा और उसके लिए नगरपालिका परिषद, रामनगर द्वारा समय पर निर्धारित ढुलाई, शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेन्सी को करेगा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–

हरा :– जैव अपघटकीय कचरे के लिए

नीला :– गैर–जैव अपघटकीय या खुश्क कचरे के लिए

काला :– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगरपालिका परिषद की भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा श्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग–अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर गैर जैव अपघटकीय कचरे को पुर्नचक्रण किए जाने हेतु नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेन्सी को सौंपेगा। जैव अपघटकीय कचरे की प्रोसेसिंग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मियेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा, इससे बचे कचरें को नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त कचरा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेन्सी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा [illegible] वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगरपालिका [illegible] कचरे [illegible] अलग-अलग डिब्बों [illegible] और पुन [illegible] सामग्री [illegible] परिषद द्वारा [illegible] संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेन्सी को सौंपेगा। जैव अपघटकीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका परिषद रामनगर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओ या एजेन्सी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगरपालिका परिषद की भागीदारी से, कचरे के श्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेन्सी को सौंपेगे। जैव अपघटकीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही कियर जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेन्सी को सौपेंगे।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेन्सी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा, कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता, शुल्क का भुगतान करते हुए नगरपालिका परिषद को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा, कि ठोस कचरे को श्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि उत्सर्जित कचरे को नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त संग्रहकर्ता या अधिकृत एजेन्सी को सौपा जा सके।

(अपपप) सेनेटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबन्धी विनिर्माताओं या ब्राण्ड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटकीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटकीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखना होगा।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा-कुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगरपालिका परिषद द्वारा अधिसूचित डिपो या कन्टेनर या वाहन को सौंपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय पर नगरपालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केन्द्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बनाए गए तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध सम्बन्धी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से वन्द कन्टेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका परिषद रामनगर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरो में डालना निषेध होगा।

[illegible] ... प्रदत्त [illegible] गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचायेगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः–

(प) नगरपालिका परिषद के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस0डब्लू0एम0 नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगरपालिका परिषद संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास–खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगरपालिका परिषद रामनगर की वेबसाइट www.nagarpalikaramnagar.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर–घर जाकर कचरा एकत्र करनें का समय सामान्यतः प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगरपालिका परिषद रामनगर द्वारा परिस्थितियों के अनुकूल, समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(पपप) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अपशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबन्ध किया जाएगा।

(पअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अपशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटकीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(अपप) कन्टेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगरपालिका परिषद रामनगर द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खण्ड 4 व उप–खण्ड (पअ) और (अ) के अन्तर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए

(प) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित होंगे भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगरपालिका परिषद द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जी0आई0एस0 मानचित्र में होगी, जो नगरपालिका परिषद द्वारा विधिवत् रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारम्भिक बिन्दु, प्रारम्भ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अन्तिम बिन्दु और निर्दिष्ट मार्ग के अन्तिम समय का उल्लेख होगा। नगरपालिका परिषद अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगरपालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं सम्भव न हों, वहां एक थ्री-व्हीलर अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन/साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यन्त भीड़-भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्री-व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों/लेनों में जहा थ्री-व्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन सम्भव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगरपालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गअ) ऑटो टिप्पर, थ्री-व्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य श्रोतो जैसे डलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगरपालिका परिषद या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा।

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक्कीकृत ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अन्तरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ [illegible] अलग-अलग स्टोरेज होंगे:-

(क) गैर-जैव अपघटकीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटकीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा चिन्हित अलग-अलग कन्टेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

हरा :- जैव अपघटकीय कचरे के लिए

नीला :- गैर-जैव अपघटकीय कचरे के लिए

काला :- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगरपालिका परिषद समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदण्ड अधिसूचित करेगी, ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर पालिका स्वयं अथवा बाहरी एजेन्सियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केन्द्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस-पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपों में विभिन्न आकार के कन्टेनर नगरपालिका परिषद या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी, कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है, और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा, कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायसी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबन्द समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कन्टेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सके।

(पग) नगरपालिका परिषद या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करे।

(ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटकीय कचरा) के लिए रिसाइक्लिंग सेन्टर

(क) नगरपालिका परिषद अपने वर्तमान डलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइक्लिंग केन्द्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बन्धी

के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करनें के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाइक्लिंग केन्द्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटकीय) इन निर्दिष्ट रीसाइक्लिंग केन्द्रो को स्थानान्तरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केन्द्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारो के लिए प्राविधान भी होगा कि वे अपना रिसाईकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइक्लिंग केन्द्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटों या नगरपालिका परिषद के अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउन्टर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेन्ट या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी, कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइक्लिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेन्ट या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगरपालिका परिषद अपनी एजेन्सी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है, कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कीकृत तरीके से एकत्र करे।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केन्द्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की ढुलाई के समय प्रयुक्त वाहनों को भलि-भांति कवर्ड कर एकत्र कचरे को निस्तारण स्थल तक ले जाया जाएगा, ताकि कचरे का दुष्प्रभाव वातावरण पर न पड़े। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रान्सफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगरपालिका परिषद द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगरपालिका परिषद द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र कचरे के निपटान के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन कार्य करेंगे। कूडेदान या कन्टेनरों के आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कीकृत जैव अपघटकीय कचरा प्रोसेसिंग प्लान्टों जैसे कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो-मिथेनेशन प्लान्ट या अन्य केन्द्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(पअ) जहा-कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटकीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटकीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केन्द्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंस अन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के प्राविधानो के अनुसार की जाएगी।

[illegible] और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

[illegible] ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अन्तिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एम0टी0एस0 अथवा एफ0सी0टी0एस, जहां-कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानान्तरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एम0टी0एस0/एफ0सी0टी0एस0 निर्दिष्ट स्थल पर खडे नहीं पाए जाएगें, तो लदा वाहन एम0टी0एस0 अथवा एफ0सी0टी0एस0 के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड काम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न श्रोतो से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(गपपप) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।

(गपअ) इस सेवा में संलग्न एम0टी0एस0 केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेगा।

(गअ) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जांकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एम0टी0एस0 तैनात किए जाएगें।

(गअप) एम0टी0एस0 और एफ0सी0टी0एस0 का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय ले और कूडा करकट इधर-उधर न फैले।

(गअपप) ठोस कचरे को स्थानान्तरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द-गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(गअपपप) नगरपालिका परिषद अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेन्सी सभी द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंगः-

(प) नगरपालिका परिषद ठोस कचरा प्रोसेसिंग केन्द्रों और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेन्सी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम् उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केन्द्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लान्टो के जरिए;

(ग, कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली सयन्त्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लान्टों के जरिए।

(पप) नगर पालिका रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आर0डी0एफ0) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लान्ट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबन्धांे की कार्य शर्तो का हिस्सा होगा।

(पअ) नगरपालिका परिषद सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाईकिल योग्य पदार्थ रीसाईकिल करने वाली अधिकृत एजैन्सियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(प) नगरपालिका परिषद सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबन्द समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंकट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटकीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटकीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगरपालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा, कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटकीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

(पपप) नगरपालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासम्भव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगरपालिका परिषद कचरा प्रबन्धन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेन्द्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियन्त्रित रखना और तत्सम्बन्धी यूनिट के आस-पास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगरपालिका परिषद अपशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों के अन्तर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेन्सी के जरिए सेनीटेरी लैडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उत्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगरपालिका परिषद अथवा अध्यक्ष/नगरपालिका परिषद द्वारा अधिकृत एजेन्सी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगरपालिका परिषद इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगरपालिका परिषद ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परिवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाती वसूल की जायेगी।

12. एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दण्डः-

(क) एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आनें पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दण्ड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी एंव उनके द्वारा नामित कर्मचारी, सब इन्स्पेक्टर, चैकी, थाना प्रभारी होगें तथा मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि-2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दण्ड राशि प्रत्येक परिवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(प) कूडा फ़ेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना:- अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्राविधान किए गए सार्वजनिक केन्द्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोनें/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी सम्पत्ति पर कूडा फैलाना:- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त सम्पत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेंकना:- किसी वाहन के ड्राईवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैण्ड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फेंकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गन्दगी डालना:- कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो, ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैण्ड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गन्दगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी:- कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गन्दगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान:- कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गन्दगी नहीं डालेगा।

(पप) कचरे को जलाना:- सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निप्रिद्व होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र":- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

[illegible] भी गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगरपालिका परिषद से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करे।

(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगरपालिका परिषद द्वारा अधिसूचित रिफण्ड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफण्ड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जाच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें सम्पत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगरपालिका परिषद की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगरपालिका परिषद के सम्बद्ध नामित अधिकारी/कर्मचारी को आवेदन करना होगा, तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लाट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगरपालिका परिषद निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगरपालिका परिषद किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दण्ड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नगरपालिका परिषद निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है:-

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और

(पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनेटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:-

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आनें वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्राण्ड मालिकों को कचरा प्रबन्धन प्रणाली के लिए नगरपालिका परिषद को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका इस प्राविधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्राण्ड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटकीय पैकेजिंग सामग्री में अपनें उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनेटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्राण्ड मालिक या विपणन कम्पनियां इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाएगी कि उनके उत्पादों में सभी रिसाईकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

लोगों को शिक्षित करेंगे।

14. नगरपालिका के दायित्व:-

(प) नगरपालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानो, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कन्टेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बन्द वाहनों में अन्तिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए वाध्य होगा, जिसके लिए नगरपालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबन्ध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यकता हो।

(पप) नगरपालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेन्सी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आस-पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख-रखाव करेगा।

(पपप) नगरपालिका परिषद विकेन्द्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबन्धन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कन्टेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रान्सफर स्टेशन, लैण्डफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अधिशासी अधिकारी या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगरपालिका परिषद जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगी, तो वह अनुबन्ध के जरिए बाहरी एजेन्सियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगरपालिका परिषद अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई कार्य की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगरपालिका परिषद सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगी तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगी, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दण्ड सम्बन्धी प्राविधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगरपालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे गीले कचरे का श्रोत पर ही उपचार करे। नगरपालिका परिषद विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मियेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकती है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ग) नगरपालिका परिषद ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणालियो को सुचारु और औपचारिक बनानें के उपाय करेगी और यह प्रयास करेगी कि कचरा प्रबन्धन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिको (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबन्धन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(गप) नगरालिका परिषद यह सुनिष्चित करेगी कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्तानें, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाए, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है, और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगरपालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ कीं व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगी।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केन्द्र अथवा लैण्डफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केन्द्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगरपालिका परिषद को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच:- अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से सम्बन्धित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(गअ) नगरपालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सेन्टर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पी0जी0आर0एस0) विकसित करेगी। इस पी0जी0आर0एस0 में एस0एम0एस0 आधारित सेवा, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगरपालिका परिषद एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करनें के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आई0सी0टी0 प्रणाली कायम करेगी तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगी।

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच:- अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका परिषद अपंनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगी।

(गअपपप) नगरपालिका परिषद एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगी, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अन्तिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय: नगर पालिका अन्य सरकारी एजेन्सियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय [illegible] या नियंत्रण में आने वाले [illegible] [illegible] कोई कठिनाई होगी [illegible] उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य [illegible] के समक्ष [illegible] रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 और इन उप-नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए समय≤पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते है।

अनुसूची-1

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अ पशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) की प्रस्तावित राशि रूपये में
1.	आवासीय भवन	कच्ची झोपड़ी रू0 5=00/प्रतिमाह पक्का मकान रू0 10=00/प्रतिमाह
2	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी मे रू0 10=00/प्रतिमाह स्थाई दुकान/फड़ पर रू0 20=00/प्रतिमाह
3	मांस एवं मछली विक्रेता	रू0 50=00/ प्रतिमाह
4	रेस्टोरेन्ट	रू0 150=00/ प्रतिमाह
5	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	रू0 200=00/प्रतिमाह
6	धर्मधाला	रू0 01=00/ प्रति कमरा प्रतिमाह
7	बारातघर (चेरिटेबिल)	रू0 250=00/ प्रति उत्सव
8	बारातघर (नान-चेरिटेबिल)	रू0 500=00/ प्रति उत्सव
9	कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएं सरकारी कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएं गैर सरकारी	निःशुल्क रू0 100=00/ प्रतिमाह
10	समस्त बैंक	रू0 50=00/ प्रतिमाह
11	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (अनुपचारित बायो मेडिकल वेस्ट छोड़कर)	40 बैड तक रू0 100=00/प्रतिमाह 41 बैड से अधिक पर रू0 150=00/ प्रतिमाह
12	क्लीनिक/पैथोलॉजी	रू0 75=00/प्रतिमाह
13	दुकानें (खाद्य पदार्थ बनाकर बेचनें वाली दुकानों को छोड़कर)	रू0 20=00/प्रतिमाह
14	दुकानें (खाद्य पदार्थ बनाकर बेचनें वाली दुकानें)	रू0 20=00/प्रतिमाह
15	खाद्य पदार्थ बनाकर बेचनें वाले हाथ ठेले	रू0 10=00/प्रतिमाह

16	फैक्ट्री	रू0 1000=00/प्रतिमाह
17	वर्कशॉप	रू0 50=00/ प्रतिमाह
18	कबाड़ी	रू0 20=00/प्रतिमाह
19	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रू0 100=00/प्रतिमाह
20	सार्वजनिक निजी स्थलों पर सर्कस/ प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन्न हो	रू0 100=00प्रति उत्सव
21	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घ0मी0 तक रू0 100=00, 1.00घ0मी0 तक रू0 200=00 तथा 3.00घ0मी0 तक रू0 500=00, 6.00घ0मी0 तक रू0 1000=00 इससे अधिक प्रति घ0मी0 रू0 100=00 अतिरिक्त
22	सिनेमा हॉल	रू0 150=00 प्रतिमाह
23	बार	रू0 100=00 प्रतिमाह
24	बारबर/मोची/दर्जी/ड्राईक्लीनर व्यावसाय करनें वाली दुकानें	रू0 20=00 प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर ना किए जानें की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एल0पी0एस0सी0) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	50=00रू0
			बल्क जनरेटर	
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	2000=00रू0
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	1000=00रू0
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	250=00रू0
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	500=00रू0

	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1.कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पेशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	200=00रू0 से 300=00रू0 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 200=00रू0
2.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनेटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	100=00रू0
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	250=00रू0
3.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500=00रू0
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	2500=00रू0
4.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	2500=00रू0
5.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेन्सीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेन्ट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000=00रू
6.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेण्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथ्यक्करण न	उल्लंघनकर्ता	200=00रू0

		करने,अपशिष्ट भण्डारड्ड डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर		
7.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सड़कों, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500=00रू0

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा:-

8.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर0डब्ल्यू0ए0	5,000=00रू0
9.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय संस्थान	10,000=00रू0 20,000=00रू0
10.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल रेस्टोरेन्ट	5,000=00रू0 2000=00रू0
11.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्राॅण्ड आॅनर /स्वामी	25000=00रू0
12.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता विनिर्माता और ब्रांड स्वामी और विपणन कम्पनियां		50,000=00रू0
13	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 15य (ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मार्केट काम्पलेक्स आदि	25,000=00रू0
14	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/ चालक	500=00रू0

15	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 20(घ)	नगरपालिका की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिग्रह स्वामी	1000=00रू0
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करनें में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000=00रू0

भरत त्रिपाठी,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।

मौ0 अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/62–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।